



OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER OF INCOME TAX (CENTRAL) - 2
Aayakar Bhawan Poorva, 3rd Floor 110, Shanti Pally, E.M. By Pass, Kolkata-700107

फा.सं 21/प्र.आआ/के-2/प्रचालन वाहन/सीटीसी/2017-18/

दिनांक: 13.10.2017

F.No21/Pr.CIT/C-2/Kol/Staff Car/Hq/17-18/

Date: 13.10.2017

निविदा नोटिस/TENDER NOTICE

विषय/Subject: प्रधान आयकर आयुक्त, केन्द्रीय-2, कोलकाता कार्यालय के लिए स्टाफ वाहन को किराए पर लेने हेतु
Hiring of Staff Car for the Office of the Principal Commissioner of Income Tax, Central - 2, Kolkata.

1. प्र.आयकर आयुक्त, केन्द्रीय-2, कोलकाता कार्यालय प्रतिष्ठित विक्रेताओं से बंद लिफाफों में 01(एक) स्टाफ कार प्रचालन वाहनों जिनकी बनावट और मॉडल (क) होन्डा सिटी या (ख) हुन्डइ वरना या (ग) मारुति एरटिगा, या(घ) टोयोटा कोरोला अल्टीस, या(ङ)टाटा सफारी, या (च) टोयोटा एनोवा (द) माहिन्दा XYLO or () स्कॉर्पियो आदि और जो न्यूनतम 2015 का मॉडल हो, इन प्रचालन वाहनों की आवश्यकता से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिदिन दिनांक 1.12.2017 से प्रभावी होगी।(शनिवार/रविवार/छुट्टी के दिन सहित काम की अति-आवश्यकता के आधार पर निर्दिष्ट समय से अनपेक्षित)।

Office of the Pr. Commissioner of Income Tax, Central -2, Kolkata invites tenders in sealed covers from reputed vendors for hiring of 01 (one) Staff Car of make & Model- as (a)Honda City or (b)Hyundai Verna or (c) Maruti Ertiga, or (d)Toyota Corolla Altis or (e)Tata Safari, or (f)Toyota Innova or (g) Mahindra Xylo or (h) Scorpio etc., and minimum model of 2015 having seating capacity of at least seven persons (including driver). These Staff Car will be required with effect from 1.12.2017 for a period of two years on all days--- (including Saturdays/Sundays/on holidays irrespective of specified timings on the basis of urgency of work).



2. वाहनों का किराया, वाहन किराया समिति के निर्णय अनुसार, रु.40,000/- प्रतिमाह या उससे कम होगी। वाहन का किराया और जी.एस.टी दरों को अलग से उल्लेख किया जाए। बताई गई दर सभी प्रकार के खर्चों जैसे बीमा ईंधन, कर, रखरखाव, मरम्मत आदि सहित होगी। केवल पार्किंग खर्च जिनकी मांग रास्ते में की जाएगी, इसके अलावा विभाग किसी सूरत में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा।

The monthly rent for hiring the vehicles, subject to the decision of the Vehicle Hiring Committee, shall be less than or equal to Rs 40,000/- per month. The rate offered be mentioned for the vehicles and GST separately. The rate quoted will be inclusive of all types of expenses including insurance, fuel, taxes, maintenance, repair etc. Nothing extra will be paid in any circumstance by the Department excepting parking charges, if demanded on roads.

2. निविदा दो भागों में जमा की जाए- तकनीकी बोली और वित्तीय बोली। दोनों बोलियों को अलग-अलग लिफाफों में बंद करके (जिन पर साफ अक्षरों में 'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' लिखकर) एक लिफाफे में जमा की जाए। ऐसे विक्रेता जिनके तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग-अलग बंद लिफाफों में नहीं पाई जाएगी या जिन्होंने तकनीकी बोली की दरों नहीं बताई हैं, उनकी निविदा को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। तकनीकी बोली और वित्तीय बोलियों के नियम और शर्तें अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-2 में अलग से संलग्न हैं। केवल उन्हीं विक्रेताओं के तकनीकी बोलियों को खोला जाएगा जिनकी वित्तीय बोलियाँ योग्य पाई जाएँगी। अगर वित्तीय बोली को अयोग्य पाया गया तो इसके तकनीकी बोली को बिना खोले ही वापस कर दिया जाएगा। The tender shall be submitted in two parts -

Technical Bid and Financial Bid. Both the bids are to be placed in two separate sealed envelopes (clearly super scribing 'Technical Bid' and 'Financial Bid') which in turn should be placed in one cover. The bids of the vendors whose technical bid and financial bid are not in a separate sealed envelope or if they do not quote the rates in the technical bid, then such tender shall be liable to be rejected forthwith.

Terms and conditions of the technical bid and financial bids are enclosed separately as Annexure-I and Annexure-II. The financial bid of only those vendors shall be opened only if such technical bids are found eligible. Once the financial bids are opened, the corresponding Technical Bids shall be returned unopened.



3. निविदा और निविदा नोटिस के लिए तकनीकी बोली(अनुलग्नक- III) का प्रपत्र और वित्तीय बोली(अनुलग्नक- IV) का प्रपत्र प.आयकर आयुक्त, केन्द्रीय-2, कोलकाता कार्यालय बिना खर्च के प्राप्त की जा सकती हैं। सीलबंद कोटेशन को प्र.आयकर आयुक्त, केन्द्रीय-2, कोलकाता संबोधित करते हुए, उनके तीसरी मंजिल, आयकर भवन पूर्वा, 110, शंति पल्ली, इ.एम.बाइपास, कोलकाता-700107 स्थित कार्यालय में रखे निविदा पेटी में डाला जाए। तकनीकी बोली के साथ बयाना राशि के रूप में रु.10,000/- , किसी भी राष्ट्रकृत बैंक से आहरित डीमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के रूप में, "ZAO, CBDT, Kolkata" को कोलकाता में देय होगी।

The proforma for Technical Bid(Annexure - III)and proforma for Financial Bid (Annexure-IV)for submitting the tender as well as the tender notice will be issued from office of the Pr. Commissioner of Income Tax ,Central -2, Kolkata ,free-of cost. The sealed quotation should be addressed to the Pr. Commissioner of Income Tax, Central -2, Kolkata and should be dropped in the tender box kept in his office on 3rd floor, Aayakar Bhawan Poorva, 110 Shanti Pally, E.M.Bypass, Kolkata 700107.The technical bid will accompany earnest money deposit of Rs 10,000/- in the form of Demand Draft/Pay Order, drawn on any nationalized bank, payable in favour of "ZAO, CBDT, Kolkata" payable at Kolkata.

4.बिना बयाना राशि के निविदा को अयोग्य समझा जाएगा। उसी प्रकार, असफल विक्रेताओं के निविदाओं को निविदा खुलने के 7(सात) दिनों के अंदर वापस कर दिया जाएगा। अगर सफल विक्रेता ने प्रचालन वाहन की आपूर्ति करने से मना कर दे तो बयाना राशि को ज़ब्त कर लिया जाएगा। सफल विक्रेता के बयाना राशि को प्रचालन वाहन की आपूर्ति के एक महीने के अंदर वापस कर दी जाएगी क्योंकि एक महीने की अवधि को परीक्षा अवधि समझा जाएगा। सीलबंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 07.11.2017 को दोपहर 1 बजे तक है।

The tender without earnest money will be likely to be disqualified. Similarly, the Demand Draft/Pay Order submitted by unsuccessful vendors will be returned within 7(seven) working days of opening the tender. If the successful vendor refuses to supply the Staff Car then the earnest money will be forfeited. The earnest money deposit of the successful vendor will be returned after one month from the supply of Staff Car as the period of one month will be considered as probation period. The last date and time for submission of sealed tender will conclude on 07.11.2017 at 1.00 p.m.



5 निविदा समिति सीलबंद निविदाओं को 07.11.2017 को दोपहर 3 बजे कमरा सं 304, तीसरी मंजिल, आयकर भवन पूर्वा, 110, शंति पल्ली, इ.एम.बाइपास, कोलकाता-700107 में जो विक्रेताएँ या उनके प्रतिनिधि रहने के इच्छुक होंगे, उनकी उपस्थिति में खोला जाएगा। समिति तकनीकी बोली की जाँच करेगी और फिर योग्यता का निर्धारण करेगी। इसके बाद, योग्य बोली लगाने वालों की वित्तीय बोली को खोला जाएगा। इन सभी योग्य निविदाओं को क्रम से ज्यादा के आधार पर वर्गित किया जाएगा जैसे L1, L2, L3 ... जिसमें L1 सबसे कम होगा। सबसे कम राशि की निविदा को (L1) को योग्य विक्रेता घोषित किया जाएगा। अगर सफल विक्रेता ने ठेका/संविदा लेने से मना कर दिया तो, उसकी जमानत जमा राशि को जब्त कर ली जाएगी और संविदा दूसरे अधिकतम बोली वाले विक्रेता L2 और यह क्रम चलता रहेगा। यह प्रक्रिया चलती रहेगी जबतक सफल विक्रेता कार्य स्वीकार कर नहीं लेता। प्रचालन वाहन का आपूर्ति आदेश योग्य विक्रेता/ओं के चयन प्रक्रिया पूरी होने पर जारी की जाएगी।

The Tender Committee shall open the sealed tenders at 03.00 p.m. on 07.11.2017 in Room No. 304, 3rd floor, Aayakar Bhawan Poorva, 110, Shanti Pally, E.M. Bypass, Kolkata - 700107, in the presence of vendors or their representatives who wish to be present. The Committee will scrutinise the technical bids and determine the eligibility thereof. Thereafter, financial bids of the eligible bidders will be opened. It will rank all the eligible tenders in ascending order on the basis of amount quoted in the tender as L1, L2, L3 ... of which L1 will be the lowest. The tender quoting the lowest amount (L1) will be declared as successful vendor. In case the successful vendor refuses to accept the contract, its security deposit will be forfeited and the contract will be offered to the next higher vendor L2 and so on. This process will be repeated till the successful vendor accepts the work. The order to supply the Staff Car will be issued as soon as the selection of eligible vendor(s) is/are tentatively finalised.

6. दूसरी ओर, अगर L1 विक्रेता स्टाफ वाहन की आपूर्ति न कर पाए, तो स्टाफ वाहन की आपूर्ति का संविदा L2 विक्रेता को दी जाएगी और यह क्रम चलता रहेगा।

On the other hand, In case, the L1 vendor is not able to supply the Staff Car, the contract to supply the Staff Car will be offered to L2 vendor and so on.

7. निविदा सशर्त नहीं होनी चाहिए। ऐसे निविदा को अयोग्य माना जाएगा।

The tender should not be conditional. Such tender is likely to be disqualified.



8. अगर विक्रेता की ओर से किसी प्रकार के चूक के कारण प्रचालन वाहन का इस्तेमाल महीने की किसी अवधि के दौरान न हो पाए, तो विक्रेता को महीने के उस अवधि के लिए (एक महीने में 30 दिन मानकर) यथानुपात आधार पर भुगतान किया जाएगा। टायर पंचर या अन्य किसी तकनीकी मरम्मत के कारण सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ होने पर उसे 'सेवा-नहीं' समझा जाएगा और तदनुसार उन संबंधित दिनों के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा।

If the Staff Car is not used for any part of the month for any lapse on the part of the vendor for any reason whatsoever, the payment to the vendor will be made on prorata basis for part of the month. (Assuming 30 days being a month). Incapability of providing service due to puncture of tyres or due to other technical repair of vehicles shall be treated as 'no-service' and accordingly not liable for payment for the day(s) concerned.

9. जहाँ भुगतान होगा, विक्रेता को बैंक खाता सं, बैंक और शाखा, बैंक कोड, शाखा कोड, एसआईसीआर कोड, आई.एफ.एस.सी.कोड जमा करना होगा। इस उद्देश्य से एक रद्द खाली चेक सहित तकनीकी बोली जमा करना होगा। विक्रेता बिना चूके अपना पैन और आधार सं की अवश्य उल्लेख करे।

The vendor is required to submit details of bank a/c no, bank and branch, bank code, branch code, MICR code, IFSC code where the e-payment will be made. A cancelled blank cheque should be provided for this purpose along with financial bid. The vendor should invariably mention his PAN as well as Aadhar Card No. without fail.

10. समझौता अवधि के दौरान कोई भी विषय जो समझौते में निर्दिष्ट रूप से बताई नहीं गई, उसका निर्णय प्र.आयकर आयुक्त, केन्द्रीय-2, कोलकाता कार्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसका निर्णय अंतिम और निर्णायक माना जाएगा।

Any matter during the period of this agreement, which has not been specifically covered by this agreement, shall be decided by the office of the Pr. Commissioner of Income Tax, Central -2, Kolkata, whose decision shall be final and conclusive.

11. जिन विक्रेता/ओं को स्टाफ वाहन की आपूर्ति के लिए चुना गया है, उनको प्र.आयकर आयुक्त, केन्द्रीय-2, कोलकाता कार्यालय के साथ विधिवत् स्टाप्म सहित संविदा हस्ताक्षर करना होगा, जहाँ तकनीकी बोली और वित्तीय बोली में उल्लिखित नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

The vendor(s) who is/are selected for supply of the Staff Car will be required to sign a contract duly stamped with the office of the Pr. Commissioner of Income Tax , Central -2, Kolkata, wherein the terms and conditions mentioned in the technical bid and the financial bid will be specified.



12. संभावित विक्रेता अगर कोई स्पष्टीकरण चाहता है तो वह आयकर उपायुक्त (मुख्यालय), प्रशासन, केन्द्रीय, कोलकाता द्वारा 06.11.2017 को अपराह्न 3 बजे से 4 बजे तक दिया जाएगा।

Clarification if any, required by the prospective bidders will be given by ACIT (Hqs.) Central-2, Kolkata from 3.00 p.m. to 4.00 p.m. upto 06.11.2017.

13. इस निविदा नोटिस को कोलकाता स्थित सभी आयकर विभाग के कार्यालयों और आयकर विभाग के वेबसाइट "incometaxindia.gov.in" में प्रदर्शित की जाएगी।

This tender notice is displayed on notice boards of all the offices of Income Tax Department in Kolkata and also on the website of Income Tax Department viz "incometaxindia.gov.in"



(एन आर चक्रवर्ती)

ACIT (Hqs.), Central, Kolkata
For Pr.CIT Central-2, Kolkata



तकनीकी बोली के नियम और शर्तें/TERMS & CONDITIONS OF TECHNICALBID

रुचि रखने वाले दल अपने बूते पर वाहनों की आपूर्ति करने में निम्नलिखित नियम और शर्तों पर समर्थ होने चाहिए/The interested parties must be capable of providing vehicles on their own on the following terms & conditions:-

1. विक्रेता द्वारा उपलब्ध करवाया जाने वाले वाहन विक्रेता का अपना होना चाहिए (इसके साक्ष्य के रूप में आर.सी.बुक/ब्लू बुक/स्मार्ट कार्ड की प्रति तकनीकी बोली के साथ संलग्न होनी चाहिए)The Staff Car to be supplied by the vendor must be owned by the vendor (A proof in this regard in the form of a copy of R.C book/Blue book/ Smart card should be enclosed with technical bid)

2. प्रचालन वाहन मध्यम आकार की होनी चाहिए जैसे (क) होन्डा सिटी या (ख) हुन्डइ वरना या (ग) मारुति एरटिगा, या(घ) टोयोटा कोरोला अल्टीस, या(ङ)टाटा सफारी, या (च) टोयोटा एनोवा (ख) माहिन्द्रा Xylo or (ङ) स्कोर्पियो etc आदि /The Staff Car should be a mid size vehicle such as (a)Honda City or (b)Hyundai Verna or (c) Maruti Ertiga, or (d)Toyota Corolla Altis or (e)Tata Safari , or (f)Toyota Innova or (g) Mahindra Xylo or (h) Scorpio etc .

3. प्रचालन वाहन में बेहतर सस्पेन्शन प्रणाली की गुणवत्ता होनी चाहिए और बेहतर चालन की गुणवत्ता को अग्रता दी जाएगी अगर वह वित्तीय बोली की नियम और शर्तों में उल्लेख की गई आर्थिक सीमा के अंदर हो तो।The Staff Car should have better suspension system quality and better riding quality will be preferred if it is within the monetary limit mentioned in the terms and conditions of the financial bid.

4. विक्रेता प्रचालन वाहन के तकनीकी ब्यौरे और संबंधित मापदंडों सहित ब्रोचर उपलब्ध करवाएगा/The vendor will provide brochure of the Staff Car containing the technical details and specification thereof.

5. प्रचालन वाहन व्यावसायिक होनी चाहिए(यानि पीली नंबर प्लेट वाली)।(इसके साक्ष्य के रूप में आर.सी.बुक/ब्लू बुक/स्मार्ट कार्ड की प्रति तकनीकी बोली के साथ संलग्न होनी चाहिए)The Staff Car should be commercial in nature (that is having yellow number plate)।(A proof in this regard in the form of a copy of R.C book/Blue book/ Smart card should be enclosed with technical bid)

वाहन की बनावट और मॉडल 2015 के पहले की नहीं होनी चाहिए। इसके साक्ष्य के रूप में आर.सी.बुक/ब्लू बुक/स्मार्ट कार्ड की प्रति तकनीकी बोली के साथ संलग्न होनी चाहिए। विक्रेता के पास वैध सेवा कर सं और इससे संबंधित प्रमाण तकनीकी बोली के साथ जमा की जाए।

The make of the vehicle and model should not be earlier than 2015. A proof in this regard in the form R.C book/Blue Book/Smart card should be submitted along with

technical bid. The vendor should have valid GST no. and evidence in this regard should be submitted along with the technical bid.

7. The vendor must have annual turnover of providing vehicles of Rs. 10,00,000/- or above for Financial Years 2016-17 and 2017-18. An evidence in this regard in the form of profit and loss a/c and balance sheet for those two financial years should be submitted along with technical bid. The vendor should also submit a copy of latest Income Tax return filed along with technical bid.

8. विक्रेता का सरकारी प्राधिकारियों या बड़ी निगमों को वाहनों की आपूर्ति का कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए। सरकारी प्राधिकारियों या बड़ी निगमों द्वारा जारी कार्य आदेश या संविदा की प्रति तकनीकी बोली के साथ जमा की जाए/ The vendor should have minimum two years experience of supplying vehicles to the Government Authorities or large corporate. A copy of work order or contract issued by the Government Authorities or large corporate should be submitted along with the technical bid.

9. संविदा अवधि के दौरान प्रचालन वाहन पूरे समय के लिए आयकर विभाग में तैनात रहेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों की तैनाती सप्ताह के पूरे 7 (सात) कार्य दिवसों/अवकाश दिनों के लिए प्रधान आयकर आयुक्त, केंद्रीय-1, कोलकाता कार्यालय में तैनात रहेगी। उपलब्ध कराए गए वाहन एवं चालक बिना किराए पर लेने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बदले नहीं जाएंगे। प्रचालन वाहन को विक्रेता अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा उनके चालक द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर ऐसे प्रति घटना लगभग रु.5000/- दंड लगाया जाएगा तथा इसे बिल राशि से काट लिया जाएगा।/The Staff Car shall be at the disposal of the Income Tax Department throughout the contract period at all times. It is further clarified that the vehicles shall be at the disposal of the office of the Pr. Commissioner of Income Tax Central – 2, Kolkata for all the 7 (seven) working/non-working days of the week. Dedicated vehicle and driver will have to be provided and they shall not be changed without prior approval of hiring authority. The Staff Car will not be used either by vendor or his representative or by his driver for any other person. The violation of this will attract a lump sum penalty of Rs. 5,000/- per incident and it will be deducted from the bill amount.

10. सीएनजी फिटिंग वाले वाहनों में आपात स्थिति में पेट्रोल भी होना डिजल का विकल्प/ चाहिए।/CNG fitted vehicles shall also have the option of running on petrol/diesel in emergency situation.

11. विक्रेता को इस प्रयोजन हेतु अपने खर्च पर व्यापक बीमा लेना होगा। प्रचालन वाहन हेतु बीमा योजना की प्रति तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा। दुर्घटना की किसी भी स्थिति में होने वाले सभी दावों को विक्रेता को सहन करना होगा। ऐसे किसी भी दुर्घटना से होने वाले किसी भी देनदारी का दायित्व न तो उपयोगकर्ता का होगा और न ही अधिकार विभाग का। The vendor shall take comprehensive insurance, at his own cost, for this purpose. A copy of insurance policy for Staff Car should be submitted along with technical bid. In the case of any accident, all the claims arising out of it shall be met by the vendor. Neither the user



nor the Income Tax Department will be responsible for any liability arising out of such an incident.

12. वाहन को साफ-सुथरी स्थिति में तथा पूर्ण रनिंग स्थिति में रखना होगा तथा साथ ही वातानुकूलन, हीटर, साफ सीट कवर तथा फ्रेशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। The vehicle will be kept neat & clean and in perfect running condition and should be provided with air conditioners, heaters, neat & clean seat covers and fresheners.

13. यदि वाहन खराब हो, विक्रेता को तुरंत ही उसी प्रकार के वाहन का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। वाहन को समय पर रिपोर्ट नहीं करने अथवा रिपोर्ट ही नहीं करने की स्थिति में आयकर विभाग को बाजार से रेडियो कैब आदि सहित ऐसे किसी भी वाहन को भाड़े पर लेने का अधिकार होगा तथा आयकर विभाग द्वारा किए गए ऐसे अतिरिक्त व्यय को विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बिल से प्रतिपूर्ति किया जाएगा। साथ ही, विक्रेता यदि वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था नहीं करता है त, ₹.1000/- प्रति दिन की दर से दंड अधिरोपित किया जाएगा।/If the vehicle is out of order, the vendor shall provide a substitute of similar vehicle immediately. In case vehicle does not report on time or does not report at all, the Income Tax Department would have a right to hire a vehicle from the market including Radio Cab etc & the additional cost incurred by the Income Tax Department will be reimbursed by the vendor before presentation of bills. Also, if the vendor does not provide a substitute vehicle, a penalty of Rs. 1000/- per day will be imposed.

14. यहां उल्लिखित किसी भी नियम व शर्त को पूरा करने में प्रचालन वाहन के असफल होने पर ₹.1000/- प्रति दिन की दर से दंड अधिरोपित किया जाएगा। तथापि, नियम व शर्तों की उल्लंघन की स्थिति में, बिना किसी नोटिस के संविदा को रद्द किया जा सकता है। A penalty of Rs. 1000/- per day per vehicle may be levied if any Staff Car fails to meet the terms & conditions prescribed herein even on any day. However, in case of violations of the terms & conditions, the contract can be cancelled forthwith without any notice.

15. चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इस बोली के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति संलग्न करनी चाहिए। वाहन को पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचालन हेतु वैध अनुमति पत्र होनी चाहिए। प्रचालन वाहन के चालक को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित यातायात नियमों तथा अन्य विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियमों एवं विनियमों का पालन नहीं करने के परिणाम को विक्रेता को वहन करना होगा। विक्रेता को चालक के ड्राइविंग लाइसेंस तथा वोटर पहचान पत्र की प्रति प्रचालन वाहन की आपूर्ति करते वक्त किराए पर लेने वाले प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जब कभी चालक बदले जाएंगे, प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा तथा प्राधिकारी को नए सिरे से ड्राइविंग लाइसेंस आदि की प्रति प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। बिना सचन के चालक बदलने को विक्रेता की ओर से व्यतिक्रम माना जाएगा। विक्रेता को यह भी देना होगा कि चालक पर भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का अपराधिक आरोप अथवा आरोप-पत्र नहीं लगाया गया है।/The driver should have valid driving license. The photocopy of the driving license should be attached with the Bid. The vehicle



should have valid permit to operate in the state of West Bengal. The drivers of the Staff Car must follow traffic rules and other regulations prescribed by the Government from time to time. Consequences of not following the rules and regulations will be borne by the vendor. The vendor shall provide a copy of driving licence and voter's identity card of the driver to the hiring authority at the time supply of Staff Car. Whenever there is change of driver, The authority should be intimated and shall submit the photocopy of driving licence etc. afresh to the Authority. Change of driver without intimation in writing should be treated as default on the part of the vendor. The vendor shall also provide an undertaking that the driver has not been convicted or charge sheeted by any Court in India.

16. प्रत्येक माह की समाप्ति पर बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार टीडीएस कटौती किया जाएगा। विक्रेता को यह ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा बिल की देरी से अथवा गलत प्रस्तुत करने पर, प्रशासनिक विलंब अथवा आयकर विभाग में राशि की अनुपलब्धता के कारण भुगतान में देरी हो सकती है।/Payment shall be made at the end of every month on presentation of the bill. TDS will be deducted as per Income Tax Act, 1961. The vendor should bear in mind that at times the payment might be delayed on account of late submission or incorrect submission of bills by the vendor or administrative delays or non-availability of funds with the Income Tax Department.

17. चालक अपने कार्य के दौरान शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे। वे साफ-सुथरी ड्रेस व युनिफार्म पहनेंगे तथा चालू हालत में एक मोबाइल फोन रखेंगे जिसके लिए आयकर विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।/The drivers shall observe all the etiquette and protocol while performing their duty. They shall be neatly dressed, and should wear uniform and shall carry a mobile phone in working condition, for which, no separate payment shall be made by the Income Tax Department.

18. विक्रेता तथा चालक आयकर विभाग तथा जिस अधिकारी को वाहन आवंटित किया गया है, उनके निर्देशों का पालन हेतु बाध्य होंगे।/The vendor and driver shall be bound to carry out the instructions of the Income Tax Department as well as of the Officers/ users to whom the vehicle is assigned.

19. वेंडर को प्रत्येक वाहन हेतु एक लॉग बुक जिसमें समय एवं माइलेज से संबंधित दैनिक रेकार्ड उल्लिखित होगा, रखना होगा और उसमें अधिकारी/उपयोगकर्ता से हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा। बिल के साथ इसकी प्रतिलिपि भी विक्रेता को प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्येक माह के प्रथम एवं अंतिम दिन की माइलेज मीटर का रेकार्ड उस माह में तय किए गए दूरी के प्रति-सत्यापन हेतु रखना होगा।/A daily record indicating time and mileage for each vehicle shall be maintained in a log book by the vendor who would obtain signature from the Officer/ users. A photocopy thereof will be filed with the bill raised by the vendor. The mileage metre of the 1st and last day of the month should be indicative for cross verification of distance covered in a particular month.



20. The contract between the Income Tax Department and the vendor can be cancelled with a notice of 30 (thirty) days by the vendor or the Income Tax Department.

21. निविदा प्राप्त करने की स्थिति में, संविदा प्रारंभ करने तथा प्रचालन वाहन की आपूर्ति से पूर्व, विक्रेता को निम्न की प्रति प्रस्तुत करनी होगी: (क) पंजीकरण प्रमाणपत्र/ब्लू बुक/स्मार्ट कार्ड, पैन/ आधारकार्ड सं. (ख) किराए पर देने वाले वाहन की व्यापक बीमा योजना (ग) चालक की तस्वीर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस तथा मतदाता प्रमाणपत्र (घ) सेवा कर पंजीकरण से संबंधित साक्ष्य (च) चालक भारत के किसी भी न्यायालय से आरोपित नहीं है, से संबंधित हलफनामा। उसे वाहन के प्रत्यक्ष सत्यापन/निरीक्षण हेतु प्र.आ.आ., के.-2, कोलकाता के कार्यालय में वाहन प्रस्तुत करना होगा।
In the event of the award of the tender, prior to execution of the contract and supply of Staff Car, the vendor shall be required to submit copies of (a) the Registration Certificates/ Blue Book/ Smart Card, PAN/ Aadhar Card No.(b) Comprehensive Insurance Policies of the vehicles being offered for hire, (c) particulars with photograph of the drivers, his driving licence and voter's identity cards, (d) Evidence regarding Service Tax registration, (e) undertaking that the driver has not been convicted or charge sheeted by any Court of India. He shall also be required to produce the vehicles in the office of the Pr. Commissioner of Income Tax, Central-2, Kolkata for the physical verification/inspection.

22. यह अनुबंधनिविदा नोटिस में उल्लिखित अवधि के लिए संविदा में हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होगा। इस अनुबंध का नवीकरण पारस्परिक सहमति से संतोषजनक निष्पादन के आधार पर होगा।/This contract will be effective for duration of period as mentioned in the Tender Notice from the date of signing the contract. The contract may be renewed further as mutually agreed upon, subject to satisfactory performance.

23. प्रचालक को उपरोक्त लिखित सभी नियम व शर्तों का पालन करना होगा। तथापि उपरोक्त अनच्छेद 16 एवं 22 में वर्णित के बावजूद भी, आयकर विभाग द्वारा संविदा के किसी भी नियम व शर्त के उल्लंघन करने पर बिना किसी सूचना के यह अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।/The operator shall abide by all the terms and conditions mentioned above. Notwithstanding anything contained in paragraph-15 and paragraph-21 above, this contract can be cancelled by the Income Tax Department without any notice for violation of any terms and conditions of the contract.

24. प्रधान आयकर आयुक्त, केंद्रीय-2,कोलकाता को बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार होगा।The Office of Pr. Commissioner of Income Tax, Central -2, Kolkata reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reasons.




(एन आर चक्रवर्ती)

ACIT (Hqs.) Central-2, Kolkata
For Pr.CIT Central-2,
Kolkata

वित्तीय बोली की नियम व शर्तें/TERMS AND CONDITIONS OF THE FINANCIALBID

1. वाहन की प्रति माह अधिकतम चलन 3000 किमी होगा जिसके लिए रु.40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) प्रति माह प्रति वाहन की दर से अधिकतम भुगतान किया जाएगा। प्रति दिन 12 घंटे का औसत चलन एवं 360/372 घंटे का अधिकतम चलन घंटा होगा।/The maximum running of the vehicle will be 3000km per month for which the maximum amount payable for each Staff Car will be Rs. 40,000/- (Rs. Forty thousand Only) per month. The average running hours will be 12 hours per day subject to maximum of 360/372 hours per month.

2. निविदा में वाहन की दर तथा जीएसटी का अलग-अलग उल्लेख करना होगा।/ सेवा प्रदाता/संविदाकर्ता सेवा कर प्रभार का उल्लेख तभी करेंगे जब उनके पास उनके नाम से वैध तथा सक्रिय जीएसटी होगा तथा वह नियमित रूप से उसका भुगतान कर रहे होंगे। प्रति माह उल्लिखित किए जाने वाले दर में बीमा, इंधन, कर, रखरखाव, मरम्मत आदि सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित होंगे। किसी भी स्थिति/परिस्थिति में केवल पार्किंग प्रभार को छोड़कर इसके लिए विभाग अथवा उपयोगकर्ता द्वारा अलग से अथवा अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। विक्रेता द्वारा वित्तीय बोली में संविदा की आपूर्ति हेतु उल्लिखित राशि को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान विभाग द्वारा अलग से नहीं किया जाएगा। समय व दूरी की गणना रिपोर्ट करने के समय व स्थान से कार्यमुक्त करने के समय व स्थान तक किया जाएगा।/The amount quoted in the tender should mentioned rate for the vehicles and GST separately. The charging of service tax will be mentioned only by the service provider/contractor, if he is holding a valid and active GST in its own name and is regularly paying it. The rate quoted per month will include all types of expenses including insurance, fuel, taxes, maintenance, repair etc. Nothing will be paid extra or above on the same in any condition/situation by the Department or the user except parking charges. The Income Tax Department will not pay any money other than the money mentioned by the vendor in his financial bid for which contract has been awarded. The time and distance will be calculated from the time and place for reporting to the time and place of release.




(एन आर चक्रवर्ती)

ACIT (Hqs.) Central-2, Kolkata
For Pr.CIT Central-2,
Kolkata

(प्रचालन वाहन की तकनीकी बोली/Technical Bid Staff Car)

1	निविदाकर्ता अथवा आवेदक संविदाकर्ता का नाम, पता एवं दूरभाष सं./Name and address and telephone no the tenderer i.e the applicant contractor	
2	पैन संख्या (पैन कार्ड की प्रति संलग्न की जाए)/Permanent Account Number(PAN) (Copy of PAN Cardmay be enclosed)	
3	सरकारी कार्यालय में आपूर्ति किए जाने वाले वाहनों की संख्या एवं करार/आदेश प्रति/No of vehicles supplying in the Govt sectors along with agreement/order copy	
4	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र/GST registration certificate	
5.	Details of Demand draft of 10,000/-	
6	विक्रेता का स्वयं का वाहन है/Vehicle Owned by the vendor himself	



7	आपूर्ति किए जाने वाले वाहन का रोड कर प्रमाणपत्र तथा व्यापक बीमा योजना की प्रतिलिपि Photocopy of the certificate of road tax and photo copy of comprehensive insurance policies of the vehicle being offered to be deployed				
8	वाहन का मॉडल वर्ष/Model year of the vehicle				
9	वाहन का निर्माण वर्ष/manufacture year of the vehicle				
10	वाहन का पंजीकरण संख्या/Registration number of the vehicle				
11	वाणिज्य संख्या/Commercial number				

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम तथा हस्ताक्षर
Name and signature of the Authorised Signatory



(प्रचालन वाहन की वित्तीय बोली/Financial Bid for Hiring of Staff Car)

1. निविदाकर्ता अथवा आवेदक संविदाकर्ता का नाम, पता एवं दूरभाष सं./Name and address with telephone number of the tenderer i.e. the Applicant Contractor

2. पैन/Permanent Account Number:-

3. स्टाफ वाहन की दर सूची/Rate chart for Staff Car

(सेवा कर को छोड़कर/exclusive of Service Tax).

आपूर्ति किए जाने वाले वाहनों की संख्या/No of Vehicles offered:-

	विनिर्माण वर्ष/Make/ Mfr Yr	पंजीकरण संख्या सहित वाहन का मॉडल/Model of Vehicle with registration number	प्रस्तावित दर/Rate offered
1			
2			
3			
4			

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम तथा हस्ताक्षर

Name and signature of the Authorised Signatory

